

संख्या-6/एफ1-06/2025 श्र0सं0-

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

राजीव रंजन,
संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग, पटना की स्थापना एवं उसमें सृजित राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों के कार्यान्वयन हेतु वेतनादि एवं अन्य मद में प्रावधानित ₹ 370.00 लाख (₹ तीन करोड़ सत्तर लाख) मात्र के अवधि विस्तार/व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में वित्त विभाग के संकल्प सं0-12888/वि0 दिनांक-03.12.2024 में प्रदत्त शक्तियों के आलोक में राज्य योजना बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग, पटना की स्थापना एवं उसमें सृजित राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों के वित्तीय वर्ष-2025-26 के लिए दिनांक-01.04.2025 से 31.03.2026 तक अवधि विस्तार तथा वेतनादि एवं अन्य मद में प्रावधानित ₹ 370.00 लाख (₹ तीन करोड़ सत्तर लाख) मात्र का निम्न प्रकार से इकाईवार अनुमानित व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	विषयशीर्ष	बजट उपबंध
1	2	3
1	01-वेतन	
	01.01 वेतन	1,80,00,000
	01.03 जीवन यापन भत्ता	82,00,000
	01.04 मकान किराया भत्ता	36,00,000
	01.05 परिवहन भत्ता	88,000
	01.06 चिकित्सा भत्ता	2,04,000
	01.07 अन्य भत्ता	5,04,000
	योग-26-2230.01.101.0106.01-वेतन	3,05,96,000
2	06-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	
	06.01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	2,00,000
3	11-यात्रा व्यय	
	11.01 यात्रा व्यय	1,00,000
4	13-कार्यालयी व्यय	
	13.01 कार्यालय व्यय	5,00,000
	13.02 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	3,00,000
	13.03 दूरभाष	1,00,000
	13.04 विद्युत प्रभार	1,000

Signature

	13.10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	24,00,000
5	16—प्रकाशन	
	16.01 प्रकाशन एवं मुद्रण	5,00,000
6	20—अन्य प्रशासनिक व्यय	
	20.02 कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार	8,00,000
	20.03 प्रशिक्षण व्यय	3,00,000
7	26—विज्ञापन और प्रकाशन	
	26.01 विज्ञापन और प्रकाशन	5,00,000
8	28—व्यावसायिक सेवाएँ	
	28.02 संविदा सेवाएँ	7,00,000
9	28.04 व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ	1,000
10	51—मोटर वाहन	
	51.01 मोटर गाड़ी—कार्यालय	1,000
11	52.01 मशीने एवं उपस्कर	1,000
	योग—26—2230.01.101.0106—बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का गठन	3,70,00,000

(₹ तीन करोड़ सत्तर लाख) मात्र ।

2. यह चालू योजना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2546, दिनांक-20.05.2024 (6/एफ०1-4003/2024) द्वारा बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग, पटना की स्थापना एवं उसमें सृजित राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों के अवधि विस्तार तथा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वेतनादि एवं अन्य मद में प्रावधानित ₹ 3,68,18,000/- (₹ तीन करोड़ अड़सठ लाख अदरह हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

3. आयोग के लिए निम्नांकित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वीकृत पदों का वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026 तक अवधि विस्तार की स्वीकृति दी जा रही है:-

क्र० सं०	पदनाम	स्वीकृत बल	वेतनमान
1.	आयोग के अध्यक्ष	1	25000 /-
2.	आयोग के उपाध्यक्ष	1	25000 /-
3.	आयोग के सचिव	1	Level-13
4.	आयोग के सहायक सचिव	1	Level-12
5.	आयोग के निजी सचिव	1	Level-09
6.	श्रम अधीक्षक	1	Level-09
7.	प्रशाखा पदाधिकारी	1	Level-09
8.	सहायक	3	Level-08
9.	आशुलिपिक	2	Level-06
10.	निम्न वर्गीय लिपिक	1	Level-04
11.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	Level-07
आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निजी पदाधिकारी/कर्मचारी			
12.	अध्यक्ष के आप्त सचिव	2	Level-07
13.	उपाध्यक्ष के आप्त सचिव	1	Level-07
14.	अध्यक्ष के निजी सहायक	2	Level-06

24

15.	उपाध्यक्ष के निजी सहायक	2	Level-06
16.	अध्यक्ष के निम्न वर्गीय लिपिक	1	Level-03
17.	उपाध्यक्ष के निम्न वर्गीय लिपिक	1	Level-03
18.	अध्यक्ष के आदेशपाल	2	Level-01
19.	उपाध्यक्ष के आदेशपाल	1	Level-01

4. प्रस्तावित योजना हेतु योजना उद्ध्यय एवं बजट उपबंध उपलब्ध है ।
5. इस पर होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-101-औद्योगिक संबंध-मांग संख्या-26-उप शीर्ष-0106-बिहार बाल श्रमिक आयोग का गठन (विपत्र कोड-26-2230011010106) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में उचित इकाईयों से बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।
6. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सचिव, बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी श्रमायुक्त, बिहार होंगे। इसकी निकासी विकास भवन कोषागार, नया सचिवालय, पटना से होगी।
7. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति प्राप्त है ।
8. इस योजना की स्वीकृति से संबंधित प्रस्ताव पर सचिव, श्रम संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।
9. इस योजना की स्वीकृति से संबंधित प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह/०

(राजीव रंजन)

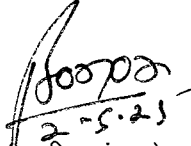
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:- 6/एफ1-06/2025 श्र0सं0- 2241

पटना, दिनांक- 02/05/2025

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव के सचिव, श्रम संसाधन विभाग/कार्यकारी निदेशक, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना /कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना /श्रमायुक्त के सचिव, पटना /प्रशाखा-02(सरकार पक्ष)/लेखा शाखा (श्रम पक्ष) एवं आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Gu An


(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।